न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

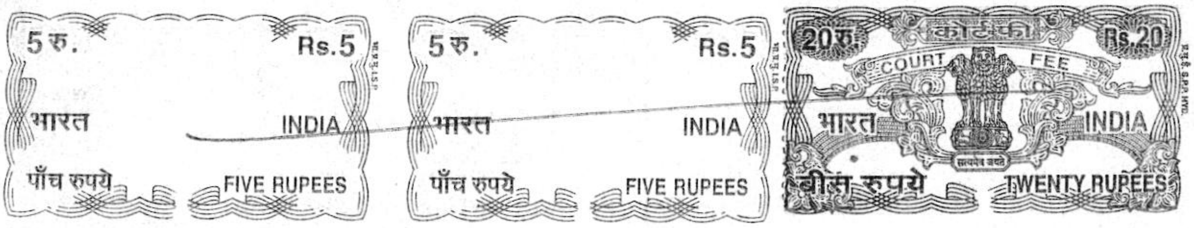

III/निग./सतना/प्र.रि./2017/1787 RS 30/-

प्रिज्म सीमेन्ट लिमिटेड मनकहरी तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0

अधि० श्री देवराज सिंह द्वारा पेश / 07-6-17

......................पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रामपाल सिंह परिहार तनय महेश सिंह परिहार निवासी सिजहटा जिला सतना म0प्र0

..........................गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण याचिका विरूद्ध आदेश दिनांक 27.01.2017 राजस्व प्रकरण क्र0 3–ए–5/2015–16

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

महोदय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार है :–

01. यह कि याचिकाकर्ता द्वारा ग्राम तपा के भूमि क्रमांक 34/1/क/1/1/ग रकवा 1.446 हेक्टेयर की तरमीम किये जाने बावत् प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन न्यायालय तहसीलदार रामपुर बघेलान जिसे आगे विचारण न्यायालय कह कर सम्बोधित किया जावेगा, के द्वारा मामले में प्रक्रिया पूरी की जा कर दिनांक 16.09.2016 को अंतिम आदेश पारित करते हुये प्रकरण समाप्त किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2016 प्रकरण क्रमांक 3–अ/5/2015–16 में पारित किया गया था जिसे आगे प्रश्नाधीन आदेश कह कर सम्बोधित किया जावेगा। प्रश्नाधीन आदेश माननीय न्यायालय के सुलभ संदर्भ हेतु अनुलग्न अ–1 के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

III/ सिवि./ प्र.क्र./ सिवि/2017/ निक्षेपलता
प्रिज्म सीमेण्ट लिमि./ शासन. राजपाल

(81) 33

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.7.17 (74)	1- आवेदक अभिभाषक श्री देवराज सिंह उप0 2- वास्ते कायमी पर तर्क.............. पेशी तारीख 25-10.17 आज्ञा से रीडर	N.C. 25/10/17
25.10.17. (37)	1- अधिवक्ता गण आज सामूहिक हड़ताल पर हैं। 2- वास्ते कायमी पर तर्क पेशी तारीख 19-12-17 आज्ञा से रीडर	
19-12-17.	1- सामूहिक पेशी दिनांक 27-12-17 नियत की गयी।	
27/12/17	आवेदक अभिभाषक श्री देवराज सिंह उपस्थित होकर अनुरोध किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण को न चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	प्रकरण [illegible] चाहिए N. 27/12/17